ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2018; 4(8): 241-244
www.allresearchjournal.com
Received: 13-06-2018
Accepted: 17-07-2018

डॉ. कमलेश कुमार सिंह
विभागाध्यक्ष, शोधनिर्देशक, राजनीतिविज्ञान विभाग, के.ए. (पी.जी.) कालेज, कासगंज, उत्तर प्रदेश, भारत

सुमित चौहान
शोधछात्र, डॉ. बी.आर.अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Correspondence
डॉ. कमलेश कुमार सिंह
विभागाध्यक्ष, शोधनिर्देशक, राजनीतिविज्ञान विभाग, के.ए. (पी.जी.) कालेज, कासगंज, उत्तर प्रदेश, भारत

लोकतान्त्रिक प्रशासन और सूचना का अधिकार अधिनियम

डॉ. कमलेश कुमार सिंह एवं सुमित चौहान

प्रस्तावना

भारतीय लोकतान्त्रिक प्रशासन में सूचना प्राप्त करने का अधिकार नागरिकों को प्राप्त विधिक रूप में होना यह लोकतान्त्रिक, प्रशासनिक जवाबदेही शक्ति के लिये प्रभावशाली परिचायक है। यह वास्तव में नागरिकों को उनसे जुड़ी प्रशासनिक समस्याओं को दूर करने के प्रयास के साथ विधिक तौर पर इस विषय पर प्रशासनिक जवाबदेही को व्यवहारिक करता है, जिससे सरकारी प्रशासन भी बचने का प्रयास करता है। विभिन्न समस्याओं का पता लगाने हेतु सूचना का स्वतन्त्र प्रवाह का होना तथा आधुनिक लोकतन्त्र में जवाबदेही की ओर व्यापक तथा प्रत्यक्ष संकल्पना को समाविष्ट किया जाना, लोकतान्त्रिक प्रशासन के लिये अति आवश्यक है। यह लोक अभिकरणों की उपलब्धि तथा सेवा–परिदान के मानकों के रूप में नागरिकों के प्रति जवाबदेही के लिये हैं, जिनकी सेवा करने के लिये वे बनायें गये हैं। ऐसी जवाबदेही केवल तभी सम्भव है जब लोगों के इन अभिकरणों की कार्य प्रणाली से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करें एवं सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 का प्रयोग स्वतन्त्र एवं खुले रूप से करें। अतः नियमों एवं प्रक्रियाओं का स्पष्टीकरण पूर्ण पारदर्शिता और लोगों में सुसंगत सूचना के अनुकूल प्रसार हेतु सूचना अधिकार अधिनियम–2005 को सम्भावित रूप से भ्रष्टाचार के विरूद्ध दृढ़ रक्षोपाय है।

लोकतान्त्रिक प्रशासन में 'नागरिक' लोकतन्त्र के मूलाधार है; जिस कारण लोकतान्त्रिक प्रशासन आम जनता के हित में कार्य करता है, न कि किसी खास वर्ग या समूह के हित में। यह जनमत का आदर करता है और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करता है। लोकतान्त्रिक प्रशासनिक तकनीकी मुख्यता इस बात पर निर्भर है कि उत्तरदायित्व किस प्रकार निश्चित किया गया है और किस प्रकार उत्तर देय ठहराया गया है तथा क्या प्रशासनिक प्रतिक्रिया पूर्ण जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देती है? लोकतन्त्र में प्रशासन जनता का सेवक है, न कि मालिक तथा प्रशासन जनता के लिये है, न कि जनता प्रशासन के लिये। अतः प्रशासन के लिये यह अतिआवश्यक है कि वह नागरिकों की इच्छा का आदर एवं सम्मान करे। लोकतन्त्र में प्रशासनिक निर्णय गुप्त नहीं रखे जाते तथा पूरी जानकारी जनता को उपलब्ध करायी जाती है, क्योंकि लोकतान्त्रिक जनता प्रशासन में सक्रिय भागीदारी रखती है। लोकतन्त्र में प्रशासन निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी नहीं बन सकता। उसे अनेक संवैधानिक एवं संस्थागत नियन्त्रणों में रहकर कार्य करना होता है; क्योंकि उस पर न्यायपालिका के साथ विधायिका का नियन्त्रण भी रहता है। लोक प्रशासन के द्वारा गलत आचार व्यवहार के कारण उनको नौकरशाही के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि वह प्रभावकारी होने पर भी सार्वजनिक नियन्त्रण से बाहर होते हैं, जिससे उनके अन्दर विशेष योग्यता, निष्पक्षता तथा मानवता का अभाव देखने को मिलता है। ये लोग नागरिकों की आलोचना करते हैं, जिस कारण यह प्रशासनिक वर्ग में औपचारिक एवं अमानवीय शासक भी कहे जाते हैं। इनका दूसरा नाम लाल फीताशाही भी होता है[1]। यह अधिकारी जनता से सम्पर्क स्थापित करने में अपनी मानहानि समझते हैं तथा सदैव अपने गौरव प्रदर्शन में लगे रहते हैं, जिस कारण उनके अन्दर गोपनीयता, कठोर नियन्त्रण एवं निरंकुशता की भावना का विकास हो जाता है। देश की जनता शासक एवं शासित वर्गों में विभाजित हो जाती है। शासक वर्ग जनता के हित की जगह अपने स्वार्थ एवं अहितपूर्ण कार्यों में व्यस्त हो जाता है। वह अपने भ्रष्ट आचरण के द्वारा घूँस लेना, मध्यम गति से कार्य करना, राजनैतिक दबाव व स्वार्थ के कारण गलत निर्णय लेना, धन का दुरूपयोग करने जैसी अनेक अनैतिक कार्यों में संलग्न हो जाता है।

नागरिक प्रशासन के सम्मुख बिना सूचना के अपने को असहाय पाकर सामान्य व निरीह जनता प्रशासनिक अधिकारियों की निरंकुशता का भयावह शिकार बन जाती है। प्रशासनिक अधिकारी कानून की परवाह किये बिना नागरिकों के विधिक अधिकारों की अवहेलना करते हैं। वे यह जानते हैं कि नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर किसी भी प्रकार की जवाबदेही जानकारी अर्जित नहीं कर

सकता; क्योंकि आम नागरिक के पास न तो इतना धन है, न समय है कि वह न्यायालय के सम्मुख जाकर अपने वृहद् प्रशासनिक समस्याओं का निपटारा कर पाये।

लोकतान्त्रिक प्रशासन में जन इच्छा का सम्मान एक महत्वपूर्ण गुण है, जिसमें प्रशासन जनता के सेवक के रूप में कार्य करता है एवं नागरिकों की इच्छा एवं सुविधाओं को प्रमुखता प्रदान करता है। वह जनता दरबार में उनकी समस्याओं को सुनता है[2] तथा सम्मानपूर्वक उसका समाधान एवं निस्तारण भी करता है।

लोकतान्त्रिक प्रशासन में जन अधिकारी लोकमत के प्रति उत्तरदायी होता है; जिसको वह संवैधानिक रूप से अपने विवेक द्वारा उत्तरदायित्व की भावना से निभाता भी हैं। लोकतान्त्रिक प्रशासन अपने निर्णय एवं कार्यविधियों को गुप्त नहीं रख सकते हैं। उनको अपने प्रत्येक कार्यप्रणाली एवं निर्णयों की पूर्ण जानकारी जनता को उपलब्ध कराना अनिवार्य है; क्योंकि संवैधानिक स्वतन्त्रता के कारण जनता को सरकार की नीतियों की आलोचना एवं सुधार की माँग का विशेष अधिकार प्राप्त होता है।

लोकतान्त्रिक प्रशासन में प्रत्येक कार्य की एक निश्चित समयावधि होती है, जिसे लोक अधिकारी को पालन करना चाहिये, कि जनता की समस्या का त्वरित न्याय व्यवस्था के द्वारा जल्द समाधान एवं लाभ प्राप्त हो सके।

लोकतान्त्रिक प्रषासन में लोक अधिकारी का यह कर्तव्य बनता है कि सरकार के द्वारा प्राप्त धन का सदुपयोग करें; क्योंकि यह धन जनता के द्वारा ही सरकार को प्राप्त होता है। अतः जनहित में इस धन का सदुपयोग करना अति आवश्यक है।

लोकतान्त्रिक प्रशासन में लोक अधिकारी द्वारा निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये; बल्कि उसको संविधान द्वारा नियन्त्रित कानून के दायरे में रहकर समुचित कार्यप्रणाली द्वारा जनता के हित में कार्य करते रहना चाहिये।

लोकतान्त्रिक प्रशासन में लोक अधिकारी को अपने कार्यों के प्रति हमेशा जवाबदेही के दायरे में रहना चाहिये। तथा नागरिकों द्वारा उनके निर्णय एवं कार्यों के प्रति किसी भी सूचना की आवश्यकता होने पर उनको तत्काल सूचना उपलब्ध करानी चाहिये।

लोकतान्त्रिक प्रशासन में लोक प्रशासक की कार्यविधि लोक कल्याणकारी होनी चाहिये[3]। उनके अन्दर सेवाभाव एवं कौषल द्वारा जनता की आवश्यकता को समझने की सहानुभूति होनी अतिआवश्यक है तथा कार्यों का समाधान प्रेमपूर्वक बिना जाति एवं धर्म के भेदभाव के किया जाना चाहिये। प्रशासनिक अधिकारियों को तकनीकी कार्य का ज्ञान होना भी जरूरी है[4]; क्योंकि उनको जनता के कार्यों को सफलतापूर्ण निभाने हेतु सरकार द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। वे अपने अनुभव एवं विशेष योग्यता के बल पर कार्य को गति प्रदान करने में समर्थ होते हैं।

लोकतान्त्रिक प्रशासन में लोक प्रशासनिक अधिकारी को सहानुभूति, वेदना, उदारता, निष्पक्षता एवं मानवीय व्यवहार में कुशल होना चाहिये, जिससे वह एक आम नागरिक के दुःख–दर्द को समझ सके और नागरिकों के साथ सरलता से सामंजस्य स्थापित कर सके एवं एक उचित मार्गदर्शक की उचित भूमिका का निर्वाह कर सके।

लोकतान्त्रिक प्रशासन में लोक प्रशासक को सरकारी या गैरसरकारी के साथ नियोजन, संगठन, जाति, धर्म, अमीर एवं गरीब तथा कमजोर के साथ सामान्य व्यवहार एवं समानता के अधिकारों का अनुशरण करना चाहिये तथा अपने कार्यों का निर्वाह देश के अन्दर लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था के अनुरूप करते रहना चाहिये[5]।

सूचना अधिकार का प्रारम्भ सन् 1990 जिला–राजसामद, तहसील–देवगढ़, ग्राम– सोहनगढ़, राजस्थान में, निर्धन किसान एवं मजदूरों का संगठन (एम0के0एस0एस0) के द्वारा किया गया। वहाँ सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी कार्यक्रमों के साथ अनावृष्टि राहत कार्यक्रमों को चलाया जाता है; परन्तु निर्धन किसान एवं मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी संदाय नहीं दिया जाता था। न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई के कारण पारदर्षिता एवं सूचना अधिकार का महत्व समझा गया है; क्योंकि धन की माँग करने पर उनके काम न किये जाने की बात दोहराई जाती थी और जब श्रमिकों ने यह माँग उठाई कि अभिलेखों को दिखाया जाये, तो उनको सरकारी लेखा बताकर गुप्त रखने की बात कही गयी। अतः सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि अभिलेखों तक पहुँच रखना, भ्रष्टाचार का निवारण करना, न्यूनतम मजदूरी के लिये प्रयास करना तथा उसे प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि आधारभूमि ढांचा सूचना हेतु तैयार कराया जाना अब आवश्यक हो गया है[6]। जब श्रमिकों ने बिल एवं बाउचरों तथा अपनी पंचायत में उपगत कार्यों के मास्टर रोल से पहुँच प्रारम्भ की तो आश्चर्यजनक रूप से पाया कि बड़े पैमाने पर घोटाले हुये हैं, बिलों को बढ़ा–चढ़ा कर दिखाया गया है, निधियों के कार्यों की अन्यार्थ प्रविष्टियाँ की गयी हैंए जो वास्तविक रूप में कभी किये ही नहीं गये थे, बहुत से कार्य अधूरे थे, जिनकों कागजों पर पूर्ण करके बिल पास करा लिया गया था। ग्रामीण किसान और मजदूरों की उपेक्षा कर स्थानीय अधिकारियों एवं अन्य पक्षों के मध्य साठ–गांठ द्वारा निर्धन श्रमिकों एवं ग्रामीणों का शोषण एवं उत्पीड़न होता रहा। अतः लोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति के तटस्थ एवं खुले मंच की तलाश प्रारम्भ हुयी। गाँव में जन सुनवाई के कार्यक्रम प्रारम्भ हुये एवं सूचना के अधिकार का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ।

भारतीय संविधान के भाग–3 में मूल अधिकारों को ही सर्वप्रथम सूचना प्राप्ति का एक मात्र उपाय समझा जाता था, जिसमें स्वतन्त्रता के अधिकार के अनुच्छेद 19(1–क) में प्रत्येक नागरिक को वाक् स्वतन्त्रता और अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्राप्त है[7], के आधार पर सिर्फ न्यायालय अपने वादों के निर्णय हेतु सरकारी विभाग द्वारा सूचना प्राप्त कर सकते हैं। 2 दिसम्बर 1994 को कोटा किराना में 9000 पंचायतों द्वारा राजस्थान में भ्रष्टाचार के विवाद में निम्नलिखित प्रश्न उठाये गये :–

1. पंचायती कृतकारिणी की पारदर्शिता।
2. अधिकारियों की जवाबदेही।
3. सामाजिक अंकेक्षण।
4. शिकायतों का जल्द निवारण।

अक्टूबर 1995 में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मंसूरी द्वारा सूचना के अधिकार पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ[8]। 1995 को राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गयी कि वह निःशुल्क स्थानीय विकास सम्बन्धी शासकीय दस्तावेजों की छायाप्रति प्रदान करायेंगे, परन्तु 1 वर्ष बाद भी उन्होंने कोई भी प्रशासनिक आदेश पारित नहीं किया। 1996 में बेवर में विशाल धरना प्रदर्षन किया गया, जो कई महीनों तक चला, जिसमें माँग की गयी कि पंचायत राज कानून में संशोधन हो तथा सरकारी कार्यालयों से प्रमाणित प्रतियों को प्रदान कराया जाय। कर्नाटक देश का पहला राज्य है, जिसमें सूचना का अधिकार लागू करने की दिशा में प्रयास किया गया। जब 1988 में कर्नाटक विधानसभा में ''कर्नाटक फ्रीडम ऑफ फ्रेष विधेयक'' पेश किया गया[9], परन्तु यह राजनैतिक कारणों से पारित नहीं हो सका। 7 अप्रैल 1997 में सर्वप्रथम तमिलनाडु में सूचना अधिकार अधिनियम लागू हुआ। 31 जुलाई 1997 गोवा, 1 मई 2000 राजस्थान, 2000 कर्नाटक, 2001 दिल्ली, 2002 असम, 2002 महाराष्ट्र, 2003 मध्य प्रदेश, 2004 जम्मू कश्मीर एवं 12 अक्टूबर 2005 को भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारतवर्ष में सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 लागू किया गया।

भारत में सूचना के अधिकार के विधिक नीतिनिर्माण के समय जनता की मूल समस्याओं को देखते हुये यह पाया गया कि आम नागरिक शासन–प्रशासन के आगे स्वयं को अत्यधिक असहाय

महसूस करता है। वे अपने रूके हुये कार्यों को पूर्ण करने हेतु साक्ष्यों के अभाव में समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। संविधान द्वारा प्राप्त मूल अधिकारों में विशेष रूप से जीवन और स्वतन्त्रता के मुख्य आधार का स्वरूप बदलता जा रहा है। जनकल्याण के द्वारा जो योजनायें सरकार द्वारा क्रियान्वयित की जानी चाहिये वह देश के अन्दर रुकी हुयी है। सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है तथा पूर्ण धन जनकल्याण के कार्यों में खर्च होता नहीं दिख रहा है। या तो कार्य हो ही नहीं रहे हैं या आधे–अधूरे अवस्था में ही रुके हुये हैं, परन्तु कागजी कार्यवाही में वह पूर्ण दिखाई देते हैं। सरकार द्वारा लोक अधिकारी के पास उन कार्यों के लिये दिये गये धन का कोई भी हिसाब नहीं होता है। मन्दगति से हो रहे कार्यों के प्रति लोक प्राधिकारी को विधिक रूप से अंकेक्षण और जवाबदेहिता की प्राप्ति का नागरिकों के पास कोई उपाय नहीं है। सरकार द्वारा बनायी गयी योजनाओं का ज्ञान जनता को नहीं हो पाता तथा हर कार्य एवं योजना अधूरी पड़ी दिखाई देती है। सरकार द्वारा दिये गये धन का मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता है कि वह धन किस क्षेत्र एवं उपयोग में खर्च किया गया हैं? सरकारी कार्यों के लिये जनता से अवैध रूप में विभिन्न प्रकार के सुविधा शुल्क की माँग होती है। सरकारी योजना का लाभ निर्धन एवं मजदूर वर्ग नहीं उठा पा रहा है तथा सरकारी और गैरसरकारी संगठन असंवैधानिक रूप से धन का लाभ स्वयं के सुख हेतु उठा रहे हैं। श्रमिकों का खुलकर शोषण हो रहा है एवं भ्रष्टाचार को नष्ट करने हेतु कोई उचित व्यवस्था एवं नियम–कानून नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सूचना के अधिकार की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं[10]–

1. लोक अधिकारी के पास रखी सूचनाओं को बाध्यता से नागरिकों को बिना कठिनाई के प्राप्त करायी जाये।
2. प्रत्येक सार्वजनिक लोक प्रशासन द्वारा किये गये कार्यों की रूपरेखा पूर्णतः पारदर्शी हो तथा उन कार्यों की जवाबदेहिता हो।
3. अधिनियम द्वारा लेन–देन में पारदर्शिता लायी जाये एवं प्रजातन्त्र में जनता को सुचारू रूप से कार्यों के प्रति भागीदारी की स्वतन्त्रता प्राप्त करायी जाय।
4. सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाओं के कार्यों में पारदर्शिता लाना एवं प्रत्येक सरकारी संस्था, विभाग, निकाय, उपक्रम, बोर्ड, बैंक, कम्पनियाँ समेत भारत की विधानसभा, संसद एवं सर्वोच्च न्यायालय को भी सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 की परिधि में लाया जाय।
5. अधिनियम द्वारा सूचना किसी भी इलेक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, इण्टरनेट, मत, सलाह, प्रेस, विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लांगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजी पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़े, सामग्री आदि प्राप्त हो सके।
6. गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले भारतीय नागरिक को निःशुल्क सूचना प्रदान की जायेगी या सरकार द्वारा नाममात्र के शुल्क द्वारा कोई भी सूचना आसानी से प्राप्त करायी जायेगी।
7. अधिकारी द्वारा सूचना न प्राप्त कराने पर अपीलीय प्रावधान का होगा एवं अर्थदण्ड भी प्रदान किया जायेगा, जोकि प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से जुर्माने के रूप में आवेदक को दिया जायेगा; जो कि अधिकतम 25000 रूपये तक हो सकेगा।
8. जीवन और आजादी सम्बन्धी सूचनाओं को 48 घंटे के अन्दर प्राप्त कराना होगा, अन्य सूचनाओं को 30 दिन की निश्चित समयावधि में सूचना प्रदान करानी होगी एवं तीसरे पक्ष की सूचना हेतु समयसीमा 40 दिन रखी गयी है।
9. केन्द्रीय सरकार द्वारा गुप्तचर एवं सुरक्षा संगठनों को अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त रखा गया है, परन्तु भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकार उल्लंघन सम्बन्धी सूचनाओं में कोई भी छूट नहीं प्रदान की गयी है।
10. आयोग द्वारा उन लोगों को सजा भी प्रदान की जायेगी, यदि यह साबित हो जायेगा कि सूचना अधिकारी ने गलत सूचना दी है या सूचना देने में हीला– हवाली की गयी है, परन्तु यह बात आवेदक को साक्ष्य द्वारा सिद्ध करनी होगी।

सूचना आयोग की संरचना

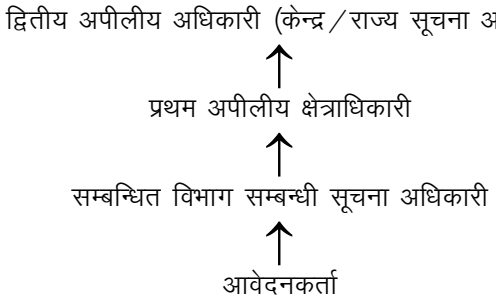

सूचना आयोग के सामने बहुत–सी बाधाएँ हैं; जिन्हें निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है[11]–

1. सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुच्छेदों की बारीकियों पर विषेषज्ञों द्वारा कई बार व्याख्या को गलत तरीके से समझ लिया जाता है, जिस कारण अधिकारी तन्त्र सूचना देने में बाधायें डालते हैं तथा स्वयं को अधिनियम से पृथक साबित करते हैं।
2. सूचना के अधिकार अधिनियम में गलत सूचना प्रदानकर्ता के लिये दण्ड प्रावधान का न होने के कारण प्रशासनिक तन्त्र द्वारा सूचना को टालने का प्रयास किया जाता है तथा सूचना प्रश्न का अभिप्राय एवं अर्थों का स्पष्टीकरण नहीं होने के नाम पर सूचना नहीं दी जाती या नष्ट कर दी जाती है।
3. सूचना के अधिकार अधिनियम में जनता की जागरूकता में कमी होने से सूचनाविधि की क्रमबद्ध रूप में उचित कार्यवाही आवेदक द्वारा नहीं की जाती, जिससे सूचना प्राप्ति में देर लगती है या आवेदक द्वारा उचित कार्यवाही न करने पर सूचना आवेदन पत्र नष्ट कर दिया जाता है।
4. प्रशासनिक तन्त्र द्वारा समय–समय पर सूचना अधिकार अधिनियम–2005 को कमजोर करने के लिये नीतियाँ बनायी जाती हैं, जिसके कारण सूचना प्राप्ति में नागरिकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
5. नागरिकों में जागरूकता के न होने के कारण सूचना अधिकारी भ्रामक सूचना देता है या सिर्फ खानापूर्ति कर देता है। कभी–कभी प्रशासनिक तन्त्र रिकार्ड में हेरा–फेरी और औपचारिक बदलाव करके भी भ्रामक सूचना प्रदान करते हैं।
6. ग्रामीण जनता को सूचना अधिकार अधिनियम कानून का ज्ञान नहीं होता है, जिस कारण वह भ्रष्टाचार, रिश्वत, घूँस, बेईमानी, बेरोजगारी से निजात नहीं प्राप्त कर पाते। उचित प्रचार–प्रसार के अभाव के कारण अधिनियम का सदुपयोग नहीं हो पाता।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 देश के शासन एवं प्रशासन को आसानी से सुशासन, पारदर्शिता, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व की सुनिश्चित सुविधा प्रदान करता है। कोई भी नागरिक जो अधिनियम की परिधि में रहते हुये सूचना प्राप्त करना चाहता है, वह सादे कागज पर निम्नलिखित प्रार्थनापत्र द्वारा सूचना प्राप्त कर सकता है[12] :–

सरकार के कार्यालयों/संस्थानों/निकायों हेतु सामान्य प्रारूपपत्र

सेवा में,
श्रीमान सहायक लोक सूचना अधिकारी
विभाग का नाम एवं पता

विषय – सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार के तहत जानकारी के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुझे निम्नलिखित सूचनाएँ उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें :–

1. .....
2. .....
3. .....

उक्त सूचनाएँ नीचे लिखे गए पते पर उपलब्ध करवायें और इस हेतु आवश्यक शुल्क का विवरण भी भेंजे।

आवेदक

दिनांक .....

नाम– .....
पता – .....
फोन नं.– .....

संलग्न– आवेदन शुल्क रुपये 10/– का भारतीय पोस्टल आर्डर। या नकद, चेक, ड्राफ्ट (नम्बर, पत्र में अवष्य लिखें।)

सूचना के अधिकार अधिनियम में निर्धारित समयावधि में किसी नागरिक को 30 दिनों के अन्दर सूचना प्राप्त नहीं होती या आधी–अधूरी सूचना प्राप्त होती है तो संस्था/विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास आवेदक अपील कर सकता है। यदि आवेदक के निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी तो प्रथम अपील में सूवना निःशुल्क प्रदान किये जाने का प्रावधान है। परन्तु यदि सूचना फिर भी न प्रदान की गयी हो, तो आवेदक द्वितीय अपीलीय अधिकारी को अपील करने का विकल्प अपनायेगा। द्वितीय अपील का 90 दिनों का समय अधिनियम द्वारा सुनिश्चित किया गया है, जोकि प्रथम अपील के 30 दिन के बाद 3 माह तक मानी जायेगी[13]। द्वितीय अपील केन्द्रीय विभागों से सम्बन्धित सूचना के लिये आप केन्द्रीय सूचना आयोग में तथा राज्यों से सम्बन्धी राज्य सूचना आयोग में कर सकते हैं।

संदर्भ

1. डा0 बी0एल0 फाड़िया– लोक प्रशासन।
2. डा0 पुखराज जैन– लोक प्रशासन।
3. डा0 नीरज कुमार– सूचना अधिकार एवं व्यवहारिक मार्ग दर्शिका।
4. डा0 जनक सिंह मीरा– सूचना का अधिकार।
5. डा0 बसंती लाल बाबेल– विधि एवं सामाजिक परिवर्तन।
6. डा0 आर0के0 चौबे– सूचना अधिकार विधि।
7. प्रकाश कुमार (आई0ए0एस0)– सूचना का अधिकार–2005।
8. राजीव कुमार– भारतीय राज्य व्यवस्था।
9. डॉ. कमलेष कुमार सिंह, भारतीय प्रशासन।
10. अरुण पाण्डेय, हमारा लोकतन्त्र और जानने का अधिकार।
11. योजना, अक्टूबर 2006.
12. प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2006.
13. बी. आर. कृष्ण अय्यर, फ्रीडम आफ इन्फार्मेशन।